

Form No. III

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

(मुकाम)

मारवाड़ जंक्शन

कातराह

बनाम

पुत्रापरान्त कर्षी

किस्म मुकदमा या वा. अन्तर्गत धारा

53, 188

य.का. अधिनियम 1955. प्र.सं. 10/1 सन 19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिसिल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामिल में जारी हुए
11/7/19	<p>वकील वादी उपस्थित । वकील वादी द्वारा एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 19 के तहत पेश कि गई जो दर्ज रजिस्ट्रर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 5/8/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन</p>	<p>308 12/7/19</p>
5/8/19	<p>वकुलाय अनुपरिथत । आज वकील मण्डल द्वारा न्यायालय में अनुपरिथत रहने का निर्णय लिया गया है। अतः पेशी इत्तवा होकर पत्रावली दिनांक 13/8/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, मा.जं.</p>	
13/8/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपर प्रति लं. 1 तथा 3 की तरफ से अधिवक्ता श्रीमन् एवं हेल्डर ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रति लं. 2 की तरफ से अधिवक्ता किशोर सिंह ने पत्रावली एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा न्यायहित में समय दिया जाता है। प्रति लं. 4 का समय वाद तामिल पाह हुआ । प्रतिवादीगण एवं वकील प्रतिवादी को जबाब हेतु समय दिया जाकर पत्रावली आपेदा दिनांक 15/10/19 को पेश हो।</p>	<p>1/5 जिगा 1/5 2 जिगा 1/2</p>

20/9/19

पतावली आज पेश हुई वकील वारी उर्फ
वकील वारी ने उा पता वाचर शोध सुनवाई
को पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर
पतावली निमत दिनांक 14/9/19 के पुन आज
दिनांक 20/9/19 को तलब की गई।

प्राधिकार
सहायक

पतावली पेश हुई वकील वारी ने उा पता
वाचर वाच विज्ञापन करने हेतु पेश किया
जिस पर (दिनांक 11/9/19) बंधन पुनी गई।
वकील वारी ने जाहिर किया न्यायालय
द्वारा मे विचारधीन प्रकरण अनवान माना

जनाह प्रताप राम को अजे नही चलाना चाहता
व्या इसके जिम्मे भी प्रमाण की कार्यवाही
नही करना चाहते है तथा वाच को पुनः
लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए
वारी का वाच जरीये विज्ञापन खरीज कर दिया
जाये। वकील वारी के निवेदन पर मनन किया
गया तथा बंधन पर मनन किया गया। पुन वकील
वारी ने उा पता वाचर विज्ञापन का वारी के
हस्तक्षर शुभा एवं स्वयं की तद्वीक शुभा पेश
किया है अतः उा पता स्वीकार किया जाकर
प्रकरण को वकील वारी की लक्ष्मी के
आधार पर वाच को पुनः लाने के अधिकार
को सुरक्षित रखते हुए जरीये विज्ञापन खरीज
किया जाता है। मिनल कुलल शुभा लंकर
सम्बन्ध ले कम है।
निर्णय पुन न्यायालय ने आज दिनांक 20/9/19
को सुनाया गया।

सहायक
महोदय

